

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 732/2017

Vijay Kumar & Ors.

Vs.

Religare Finvest Ltd. & Ors.

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

:: आदेश ::

28.02.2017

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी की ओर से कार्यालय द्वारा लगाई गई त्रुटियों को दूर नहीं किया गया है। इस हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को एक सप्ताह का समय दिया जाता है, एक सप्ताह में कार्यालय द्वारा लगाई गई त्रुटियों को दूर नहीं करने पर यह सिविल विविध अपील बिना न्यायालय को संदर्भित किये स्वतः निरस्त समझी जाए।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-